

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1130

दिनांक

23/05/2022

प्रार्थीगण :-

1. गेनाराम 2.मूलाराम 3.कलाराम
- 4.मानाराम पि. बांकाराम, जातियान सुथार
निवासी लाधुसरा (तारातरा)
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1.चेतनराम पुत्र रिड़मलराम 2.मूलाराम पुत्र
खुमाराम 3.सोनाराम पुत्र चौलाराम, जाति
जाट 4. मानाराम पुत्र भगवानाराम, जाति
राईका 5.चेनाराम 6.कुम्पाराम 7.लालाराम पि.
केशराराम, जातियान सुथार,
निवासी लाधुसरा (तारातरा),
तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 171/2018

दिनांक : 05.05.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा लाधुसरा के खेत खसरा सं. 1220/888 रकबा 66.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1131 to 1134

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गेनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चेतनराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वी जराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
ok

दिनांक

23/05/2022



(भागीरथ राय II)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
ok